राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

चौंमू हाउस, परिवहन मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ/निर्माण/2025/615 दिनांकः— 11.06.2025

कार्यालय आदेश

स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निगम के भवनों को भौतिक सत्यापन करवाये जाने की सलाह एवं निगम मण्डल की बैठक दिनांक 04.06.25 में लिये गये निर्णय संख्या 20/2025 के क्रम में निगम के भवनों का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाये जाने हेतु निम्न कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाई जावेगीः—

1. भवनो के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही आगार स्तर पर निम्न अधिकारी/कर्मचारियो की गठित कमेटी द्वारा की जावेगीः—
   1. प्रबन्धक(प्रशासन)
   2. प्रबन्धक(वित्त)
   3. प्रबन्धक(यातायात)
   4. प्रबन्धक(संचालन)/क. अभियंता(अ/ब)
   5. भण्डार निरीक्षक
2. उक्त गठित कमेटी द्वारा सलंग्न सूची(अ) के अनुसार आवंटित आगार के अधीनस्थ सभी भवन यथा—बस स्टेण्ड, कार्यालय, कार्यशाला व अन्य अधीनस्थ बस स्टेण्ड इत्यादि का भौतिक सत्यापन कर गठित के हस्ताक्षर सलंग्न निर्धारित प्रारूप (ब) में रिपोर्ट तैयार कर निर्माण शाखा को प्रतिवर्ष माह अप्रेल के प्रथम सप्ताह में भिजवाया जाना होगा।
3. गठित कमेटी द्वारा आगार के अधीन इकाईयों यथा—बस स्टेण्ड, कार्यालय, कार्यशाला व अन्य अधीनस्थ बस स्टेण्ड इत्यादि सभी इकाईयो के अलग—अलग नजरिये नक्शे तैयार किये जाकर निम्न विवरण के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावेगीः—

   अ. यदि इकाई में एक से अधिक भवन है तो प्रत्येक भवन को A, B C..... ब्लॉक दर्शाकर अलग—अलग विवरण नजरिये नक्शे पर उल्लेखित की जावे।

   ब. प्रत्येक भवन का क्षेत्रफल, तलों (भूतल, प्रथमतल ....) की संख्या के अनुसार अलग—अलग दर्शाये जावेगें।

   स. नजरिये नक्शें में भवन निर्माण का प्रकार (आरसीसी/शेड इत्यादि) दर्शाये जावेगें।

   द. वर्तमान में ब्लॉकवाईज भवन का क्या उपयोग किया जा रहा है, का उल्लेख किया जावेगा।

   य. इकाई में उपलब्ध चारदीवारी की लंबाई व ऊंचाई का उल्लेख किया जावेगा।

   र. यदि किसी भवन पर अतिक्रमण किया हुआ हो तो निम्न सूचनायें वर्णित करनी होगीः—

      i. अतिक्रमण का विवरण मानचित्र मे अंकित करते हुये।

      ii. अतिक्रमी व्यक्ति/संस्था का नाम।

      iii. अतिक्रमण हटाने के संबंध मे आगार स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण मय दस्तावेज।

   ल. यदि किसी भवन पर न्यायिक विवाद प्रक्रियाधीन हो तो निम्न सूचनायें वर्णित करनी होगीः—

I.T./769
11/06/25

i. न्यायिक विवाद का विवरण।

ii. वाद की वर्तमान स्थिति।

iii. वाद प्रभारी का नाम।

iv. निगम द्वारा उक्त वाद के संबंध में की गई कार्यवाही मय दस्तावेज।

4. कमेटी द्वारा रिपोर्ट में निगम को आवंटित इकाई की भूमि का खसरा नं व भूमि का क्षेत्रफल उल्लेखित करते हुए भूमि से संबधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
5. कमेटी द्वारा जिस आगार के भवनों की रिपोर्ट तैयार की गई है उस आगार के मुख्य प्रबन्धक से रिपोर्ट का प्रमाणीकरण करवाकर मुख्यालय निर्माण शाखा को प्रेषित की जावेगी।

गठित कमेटी द्वारा वर्ष 2024–25 के संबंध में निगम के भवनों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट निर्माण शाखा, मुख्यालय को माह जुलाई 2025 के अंत तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सलंग्नः—उपर्युक्तानुसार

(चाँद मल वर्मा)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकःएफ 6/मुख्या./निर्माण/2025/615

दिनांकः— 11.06.2025

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष(.......................) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. समस्त जोनल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,......................जोन।
7. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, के.का.......................।
8. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ...आगार।
9. कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण/सम्पति/केयरटेकर), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,जयपुर।

11/06/25
अधीक्षण अभियंता (निर्माण)

आगारों द्वारा परिवहन निगम की भवनो का भौतिक सत्यापन निम्न सूची अनुसार किया जाना हैः—

क्र0सं0	भौतिक सत्यापन करने वाला आगार	जिस आगार/कार्यशाला का भौतिक सत्यापन किया जाना है
1.	जयपुर आगार	डीलक्स आगार
2.	डीलक्स आगार	जयपुर आगार
3.	सैन्ट्रल स्टोर	केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर
4.	केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर	सैन्ट्रल स्टोर
5.	विद्याधरनगर आगार	मुख्यालय एवं वैशालीनगर आगार
6.	वैशालीनगर आगार	विद्याधरनगर आगार एवं सी.बी.एस. जयपुर
7.	कोटपूतली आगार	शाहपुरा आगार
8.	शाहपुरा आगार	कोटपूतली आगार
9.	दौसा आगार	करौली/हिण्डौन आगार
10.	करौली/हिण्डौन आगार	दौसा आगार
11.	सीकर आगार	झुन्झुनू आगार
12.	झुन्झुनू आगार	सीकर आगार
13.	श्रीमाधोपुर आगार	खेतडी आगार
14.	खेतडी आगार	श्रीमाधोपुर आगार
15.	चूरू आगार	बीकानेर आगार
16.	बीकानेर आगार	चूरू आगार
17.	अजमेर आगार	भीलवाडा आगार
18.	भीलवाडा आगार	अजमेर आगार
19.	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर
20.	केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर
21.	अजयमेरू आगार	जोधपुर आगार
22.	जोधपुर आगार	अजयमेरू आगार
23.	डीडवाना आगार	नागौर आगार
24.	नागौर आगार	डीडवाना आगार
25.	ब्यावर आगार	सी.बी.एस. अजमेर
26.	सी.बी.एस. अजमेर	ब्यावर आगार
27.	हनुमानगढ आगार	श्रीगंगानगर आगार
28.	श्रीगंगानगर आगार	हनुमानगढ आगार
29.	अनूपगढ आगार	सरदारशहर आगार

30.	सरदारशहर आगार	अनूपगढ आगार
31.	उदयपुर आगार	चित्तौडगढ आगार
32.	चित्तौडगढ आगार	उदयपुर आगार
33.	डूंगरपुर आगार	बांसवाडा आगार
34.	बांसवाडा आगार	डूंगरपुर आगार
35.	प्रतापगढ आगार	राजसमन्द आगार
36.	राजसमन्द आगार	प्रतापगढ आगार
37.	धौलपुर आगार	भरतपुर आगार
38.	भरतपुर आगार	धौलपुर आगार
39.	अलवर आगार	तिजारा आगार
40.	तिजारा आगार	अलवर आगार
41.	कोटा आगार	बून्दी आगार
42.	बून्दी आगार	कोटा आगार
43.	सवाईमाधोपुर आगार	टोंक आगार
44.	टोंक आगार	सवाईमाधोपुर आगार
45.	बारां आगार	झालावाड आगार
46.	झालावाड आगार	बारां आगार
47.	फालना आगार	पाली आगार
48.	पाली आगार	फालना आगार
49.	सिरोही आगार	आबूरोड आगार
50.	आबूरोड आगार	सिरोही आगार
51.	जालौर आगार	बाडमेर आगार
52.	बाडमेर आगार	जालौर आगार
53.	फलौदी आगार	जैसलमेर आगार
54.	जैसलमेर आगार	फलौदी आगार
55	मत्स्यनगर आगार	लोहागढ आगार
56	लोहागढ आगार	मत्स्यनगर आगार

प्रारूप नजरीय नक्शा (5)

विद्याधर नगर आगार कार्यशाला जयपुर

A Block
- क्षेत्रफल :-
- Floor (तल) :-
- निर्माण (यथा RCC/C.G.I, AC शीट) :-
- उपयोग :-

(B) Block
- क्षेत्रफल
- Floor (तल)
- निर्माण (RCC/CGI, AC शीट)
- उपयोग

(C) Block
- क्षेत्रफल :-
- Floor (तल) :-
- निर्माण (RCC/CGI, AC शीट)
- उपयोग :-

(D) Block
- क्षेत्रफल :
- Floor (तल) :
- निर्माण :
- उपयोग :

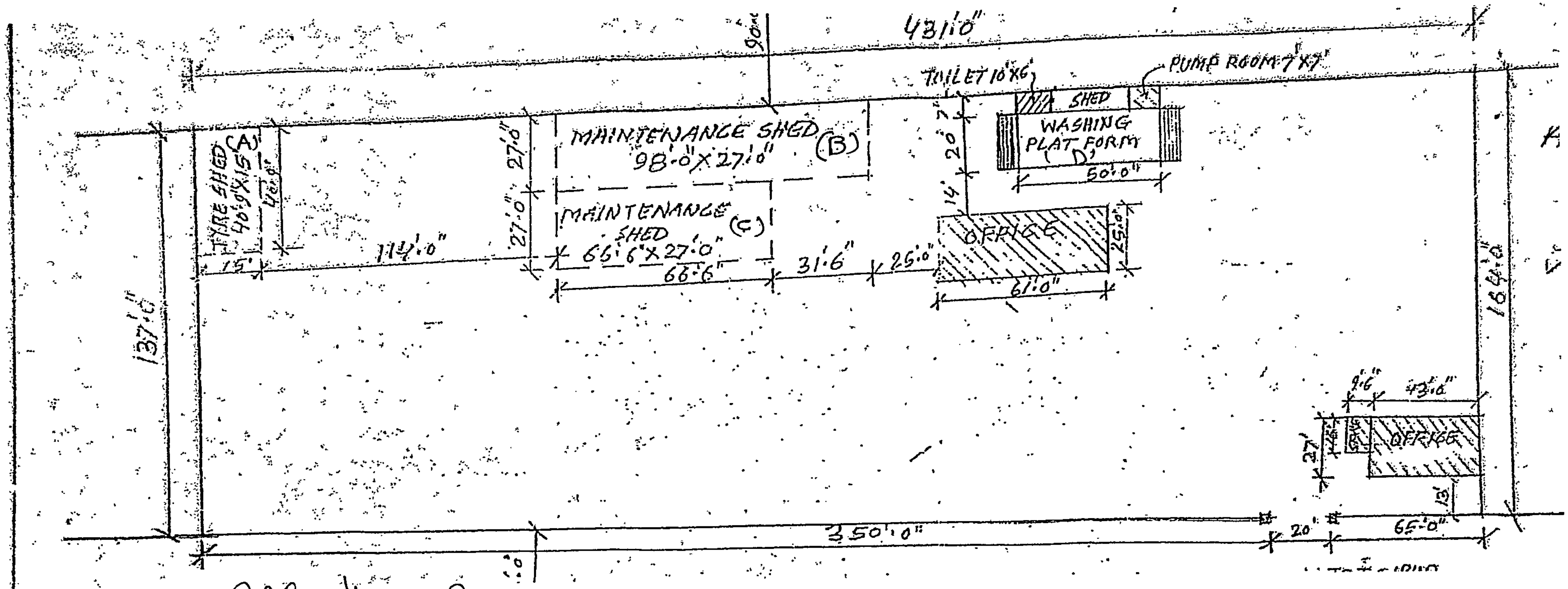

कुल निर्मित क्षेत्र का विवरण

- क्षेत्रफल A+B+C+D ...... =
- निर्मित क्षेत्र मे
  RCC :—
  CGI, AC शीट :—

*उक्तानुसार सभी BLOCK का विवरण उल्लेखित करना है।

ह:- M.(F), M(O), M(A), M(T), SSI
(जिनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है)

प्रमाणीकरण

मुख्य प्रबन्धक ...... आगार (जिनका मौका निरीक्षण किया गया है)

प्रारूप नजरीय नक्शा

बस स्टैण्ड श्री गंगानगर

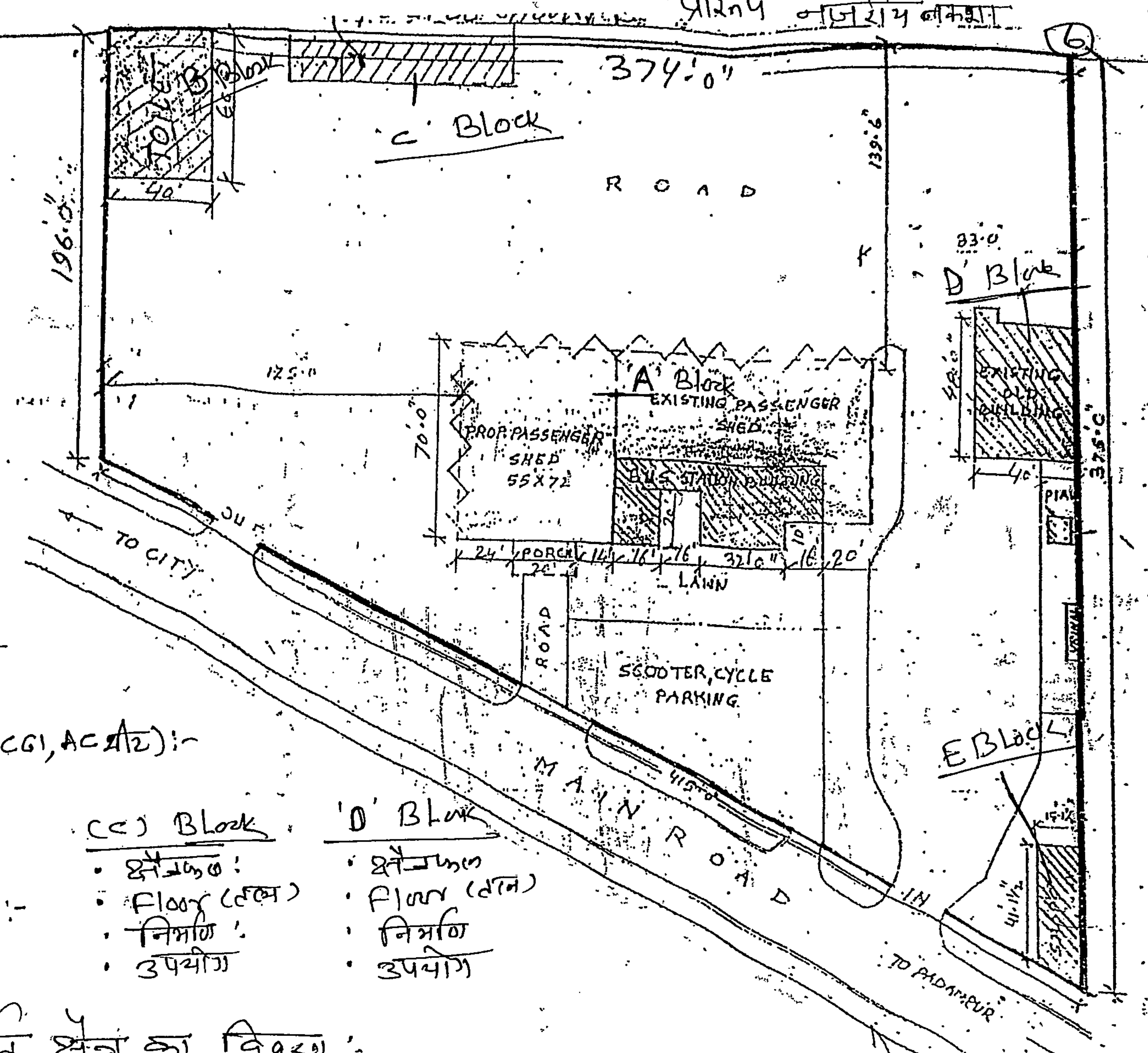

'E' Block

- क्षेत्रफल :
- Floor तल :-
- निर्माण :
- उपयोग :-

(A) BLOCK

- क्षेत्रफल :-
- Floor (तल) :-
- निर्माण (RCC/CGI, AC शीट) :-
- उपयोग :-

(B) Block

- क्षेत्रफल :-
- Floor (तल) :-
- निर्माण :-
- उपयोग :-

(C) Block

- क्षेत्रफल :
- Floor (तल)
- निर्माण :
- उपयोग

'D' Block

- क्षेत्रफल
- Floor (तल)
- निर्माण
- उपयोग

कुल निर्मित क्षेत्र का विवरण :-

- क्षेत्रफल A+B+C+D+ .... =
- निर्मित क्षेत्र
  RCC :
  CGI / A.C. शीट :

(*) उपरोक्तानुसार सभी Block का विवरण उल्लेखित करना है

E :- M.(F), M.(O), M (Adm), M (T), SSI (कमेटी जिनके भौतिक निरीक्षण)
प्रमाणीकरण

मुख्य प्रबन्धक ... आगार जिस आगार की सीमा में ...